

**पत्रांक-श्रम क०सं०-22/2025-1027**  
**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति**  
**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 कामगार के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए मात्र) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत 05 कामगारों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) प्रति कामगार की दर से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) अर्थात् कुल राशि रु० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-593, दिनांक-08.05.2025 के क्रम संख्या-01, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-771, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-04, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1233, दिनांक-09.09.2025 के क्रम संख्या-05 एवं 08, एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-05, 07 एवं 10 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त विमुक्ति आदेशों के क्रम संख्या-01 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Closed Account** रहने के कारण, क्रम सं०-04 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Payment Stopped, RTGS Transection fail**, क्रम सं०-05 एवं 08 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Returned/Null, RTGS Transection fail**, क्रम सं०-05, 07 एवं 10 पर अंकित लाभार्थी का बैंक खाता का **Returned/Null, RTGS Transection fail** रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-593, दिनांक-08.05.2025 के क्रम संख्या-01, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-771, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-04, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1233, दिनांक-09.09.2025 के क्रम संख्या-05 एवं 08, एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-05, 07 एवं 10 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-742, दिनांक-03.06.2026 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार के आश्रितको स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि  | आश्रित का नाम (संबंध) | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक               | पता एवं मोबाईल नंबर                                                                                                           | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि                    | मृत्यु/ निःशक्ताता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति    |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                     | 4                                             | 5                                                                                                                             | 6                          | 7                                  | 8                                         | 9                                                 |
| 1      | स्व० गरीब यादव, 46, मुनेश्वर यादव, पिछड़ा वर्ग    | सुनिता देवी (पत्नी)   | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>454<br>08.04.2026 | ग्राम-नैनपुर,<br>पो०-पहाड़पुर,<br>पं०-भटौनी, वार्ड-01<br>थाना+प्र०-सिमरी<br>बख्तियारपुर,<br>जिला-सहरसा<br>6209349717          | 100799<br>103005<br>2413   | BGB<br>PUNBO<br>MBGB0<br>6         | रु०<br>50,000/-<br>(पचास<br>हजार<br>रुपए) | स्वाभाविक<br>मृत्यु<br>कृषि<br>श्रमिक             |
| 2      | स्व० हरेशम सिंह, 37, सीबु दास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | आशा देवी (पत्नी)      | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>660<br>20.05.2025 | ग्राम-बिन्द टोली,<br>पो०-कबीरा, वार्ड-02<br>पो०-कबीरा<br>थाना+प्र०-सलखुआ,<br>जिला-सहरसा<br>7480882597                         | 009410<br>419350           | IPPB<br>IPOS00<br>00001            | रु०<br>30,000/-<br>(तीस हजार<br>रुपए)     | स्वाभाविक<br>मृत्यु<br>कृषि<br>श्रमिक             |
| 3      | स्व० बीरबल सहनी, 37, योगेन्द्र सहनी, पिछड़ा वर्ग  | साबो देवी (पत्नी)     | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>850<br>23.06.2025 | ग्राम-बेलौठा वार्ड-01,<br>पो०-महुआ उत्तरवारी,<br>पो०-महुआ बाजार,<br>थाना-बसनही,<br>प्र०-सोनवर्षा,<br>जिला-सहरसा<br>9065579461 | 100792<br>103014<br>9540   | BGB<br>PUNBO<br>MBGB0<br>6         | रु०<br>2,00,000/-<br>(दो<br>लाख रुपए)     | दुर्घटना<br>मृत्यु<br>मछली<br>व्यवसाय<br>का कार्य |

|   |                                                        |                       |                                                |                                                                                   |                          |                            |                                     |                                        |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 4 | स्व० श्याम नारायण दास, 59, रामकरण दास, अति पिछड़ा जाति | श्यामवती देवी (पत्नी) | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>457<br>08.04.2025  | ग्राम-धरहरा, वार्ड-09, पो०-चन्द्रायण, थाना+प्र०-नवहट्टा, जिला-सहरसा 7631908455    | 100831<br>103008<br>8665 | BGB<br>PUNBO<br>MBGB0<br>6 | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वामाविक मृत्यु, अकुशल निर्माण श्रमिक |
| 5 | स्व० शान्ति देवी, 55, सुरेन्द्र यादव, पिछड़ा वर्ग      | सुरेन्द्र यादव (पति)  | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>1206<br>30.08.2025 | ग्राम+पो+पो०-किशनपुर, थाना-पस्तपार, प्र०-पतरघट, जिला-सहरसा 6206453098             | 009410<br>558532         | IPPB<br>IPOS00<br>00001    | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वामाविक मृत्यु, कृषि मजदूर           |
| 6 | स्व० मधुमाला देवी, 55, सीताराम यादव, पिछड़ा वर्ग       | सीताराम यादव (पति)    | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>1214<br>30.08.2025 | ग्राम+पो+पो०-किशनपुर, थाना-पस्तपार, प्र०-पतरघट, जिला-सहरसा 9234274043             | 009410<br>518223         | IPPB<br>IPOS00<br>00001    | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वामाविक मृत्यु, कृषि मजदूर           |
| 7 | स्व० पिकी देवी, 37, अनिल दास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग       | अनिल दास (पति)        | 742<br>03.06.2026<br>एवं<br>1217<br>30.08.2025 | ग्राम+पो+पो०-माहखंड, वार्ड-09, थाना+प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा 6280519637 | 100774<br>103013<br>1156 | BGB<br>PUNBO<br>MBGB0<br>6 | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वामाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक          |

कुल:-रु० 4,80,000/-

(चार लाख अस्सी हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक सं०-593, दिनांक-08.05.2025 के क्रम संख्या-01, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-771, दिनांक-19.06.2025 के क्रम संख्या-04, विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1233, दिनांक-09.09.2025 के क्रम संख्या-05 एवं 08, एवं विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1305, दिनांक-22.09.2025 के क्रम संख्या-05, 07 एवं 10 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

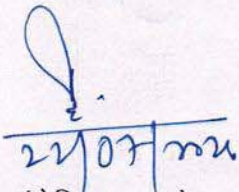
(राजेश भारती)

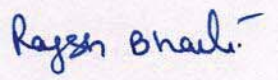
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-22/2025-1027

पटना, दिनांक :- 17/09/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल राशि रु० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सहरसा/उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक